खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांकः— ...63 / न0नि0

सेवा में,
श्री मती ममता देवी पति-श्री शक्ति गोप, श्रीमती माला देवी
पिता / पति -श्री कालाचन्द गोप, श्रीमती आशा देवी पति-श्री घलटु गोप एवं
श्री निरंजन कुमार सिंह (आम मुख्तार) पिता-श्री कान्ता प्रसाद सिंह,
विशुनपुर बी॰ पॉलिटेक्निक, धनबाद ।

धनबाद, दिनांकः— 23/4/15

विषयः— आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0— 894/14—15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक— 29.3.15 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या— 9068 से 9070, 9150, 9151, 9351, 9352, दाखिल खारिज अभिलेख संख्या— 1309, 1230, 1308 / 14-15, 1227, 1228, 1229 / 11, 1237, जमाबंदी संख्या— 2624 से 2626, 2622, 2628, 2629, 2723 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14—15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एव Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0— 894/14—15 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि विशुनपुर—05 मौजा अन्तर्गत खाता नं0— 26 प्लॉट नं0— 70 रकुवा 27794 वर्गफीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अनिल कुमार चौधरी की देख—रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करोंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय—समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे मं दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,स्वत्व, अधिकार एव दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेशलन विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 1% कुल रू0 2,00000/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

23/4/15
साहचर्य, नगर निवेशक
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
23/4/15 धनबाद। 23/4/15